न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1.रामधन पुत्र कजोड जाति बैरवा
2.विश्राम पुत्र भजन्या जाति बैरवा
3.बजरंग पुत्र जगन जाति गुर्जर
} समस्त निवासी ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1.नथोली मीना पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2.तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
3.अध्यक्ष आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्या : 35/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1.नाथूलाल पुत्र गोरधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1.नथोली मीना पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2.तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
3.अध्यक्ष आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त करने नियमीतीकरण आदेश क्रमांक 103 दिनांक 13.01.2022 जो अप्रार्थी संख्या 1 के हक में उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित किया गया है)

उपस्थिति : श्री चरण सिंह डोई अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रकरण संख्या 34/2022 उपस्थित।
: श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी प्रकरण संख्या 35/2022 उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:13 IST
Reason: Self Attested

—:निर्णय:— दिनांक: 31.01.2025

संक्षिप्त में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में स्थित बंजड सिवायचक भूमि खसरा नम्बर [illegible] का नियमितीकरण दिनांक 13.01.2022 को अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया गया है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित आये। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 3 अध्यक्ष आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में नियमितीकरण करने से पूर्व किसी भी प्रकार की अधिघोषणा या सूचना मौजा चांदूसा में चस्पा नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 3 उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने बिना कोई वाद आज्ञा प्राप्त किये तथा बिना आवंटन सलाहकार समिति का गठन किये तथा बिना आवंटन सलाहकार समिति की सलाह के विधि विरूद्ध तरीके से उक्त वर्णित भूमि का नियमीतीकरण अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में स्पष्ट प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी द्वार आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श पर ही भूमि आवंटन या नियमितीकरण की जावेगी। जबकि उक्त प्रकरण में बिना आवंटन सलाहकार समिति के गठन किये एवं बिना परामर्श के नियमीतीकरण किया गया है जो निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 182 नियमीतीकरण योग्य नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि के रकबा 0.40 है. भूमि पर बजमाने पूर्वजों से प्रार्थी नम्बर 1 व 2 रामधन व विश्राम का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 182 प्रार्थी नम्बर 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 181 से लगती हुई है। प्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 181 से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 182 में से लगभग 0.40 है. भूमि को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 181 में मिलाकर खेत बना रखा है तथा पूर्वजों के समय से ही खेती करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी काश्त कर रखी है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 182 में से लगभग 0.25 है. भूमि पर प्रार्थी नम्बर 3 बजरंग व उसके भाई राधेराम का पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा गांव के अन्य व्यक्ति नाथूलाल गुर्जर आदि का भी उक्त भूमि के कुछ रकबे पर कब्जा चला आ रहा है। इसलिये उक्त भूमि कभी खाली नहीं रही तथा ना ही वर्तमान में खाली है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने बिना मौके की जांच किये ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को नियमीतीकरण कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 मूल रूप से ग्राम चांदूसा का निवासी नहीं है। वह ग्राम नांदरी का रहने वाला है। अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम नांदरी में पैतृक कृषि भूमि स्थित है तथा ग्राम नांदरी के अलावा ग्राम नयागांव में भी अप्रार्थी संख्या 1 की काफी पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्यों को छिपाकर मिसरिप्रजेन्टेशन करके नियम विरूद्ध नियमीतीकरण आदेश प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जो दिनांक 21.01.2001 को हस्ताक्षरित है। उक्त प्रार्थना पत्र के कॉलम में कृषि भूमि स्थित होने के तथ्य को खाली रखा गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र के चरण नम्बर 5 में परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना बताया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के तीन लडके है जिसमे कूलराम मीना पुत्र नथोली मीना पं. सहायक रा.उ.मावि. हींगवा व कौरीलाल मीना पुत्र नथोली मीना जेवीवीएनएल में जेईएन व कमलेश कुमार मीना पुत्र नथोली रामकरण जोशी राजकीय चिकित्सालय दौसा में नर्सिंग कर्मचारी है। वर्तमान में सभी सरकारी नौकरी करते है। अप्रार्थी संख्या 1 ने इन तथ्यों को छिपाकर झूंठा शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। पटवारी हल्का ने दिनांक 10.01.2022 को रिपोर्ट पेश की है। उसमे ना तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है और ना ही तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है उक्त रिपोर्ट में भी हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भूमिहीन होने के बारे में कोई हवाला नहीं दिया है। इस प्रकार आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वार विधि विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उक्त नियमितीकरण पारित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त नियमितीकरण आदेश क्रमांक 10[illegible] दिनांक 13.01.2022 को निरस्त किया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि आवंटिती नथोली मीना पुत्र मूलचन्द मीना ग्राम चांदूसा में भी रहता है तथा ग्राम नांदरी में भी रहता है तथा नियमितीकरण के समय उसके पास 16 बीघा से अधिक भूमि भी नहीं थी। आवंटिती भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आने के कारण प्रश्नगत भूमि को आवंटिती को नियमन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आवंटिती के पास

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

16 बीघा से अधिक भूमि होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। आवंटिती का प्रश्नगत भूमि पर संवत 2059 से 2076 तक कब्जा रहा है और कब्जे के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नियमन किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर आवंटिती का कब्जा नहीं होने सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटिती नथोली पुत्र मूलचन्द मीना सरकारी नौकर नहीं होकर कृषि कार्य द्वारा अपना जीवनयापन कर रहा है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आवंटिती किसी सरकारी नौकरी में होने का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटिती द्वारा नियमितीकरण शर्तों का भी पालन किया जा रहा है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कथित तथ्यों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्वयं का कब्जा होने बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है और न ही स्वयं के लिये अनुतोष चाहा गया है। मात्र आवंटिती को हैरान परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स 1970 खारिज फरमावें।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नियमितीकरण आदेश क्रमांक 103 दिनांक 13.01.2022 पारित किये जाने से पूर्व आवंटन कमेटी की सिफारिश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमि को नियमित किये जाने से पूर्व कोई अधिसूचना जारी की गई है। आवंटिती को प्रश्नगत भूमि का नियमितीकरण किये जाने से पूर्व पात्रता की जांच भी नहीं की गई हैं। इस प्रकार प्रश्नगत नियमितीकरण आदेश पारित किये जाने के संबंध में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आंवटन रूल्स स्वीकार किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित नियमितीकरण आदेश क्रमांक नियमन/2022/103 दिनांक 13.01.2022 निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested